Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पटवारी एवं ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी) 9 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 अगस्त, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर–एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अखिलेश जारोली, पटवारी, पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर एवं वरदी चन्द्र, ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत बिछडी, उदयपुर को परिवादी से 9 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर–एसयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कृषि भूमि में नाम संशोधन के पश्चात म्यूटेशन खुलवाने की एवज में अखिलेश जारोली, पटवारी, पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर द्वारा **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी के आग्रह पर **13 हजार रूपये** रिश्वत राशि पर सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के निर्देशन में एसीबी की उदयपुर–एसयू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के सुरवजिन में** शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित** द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये अखिलेश जारोली पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जारोली निवासी बम्बोरी तहसील कुराबड उदयपुर हाल किरायेदार मकान नं. 692 सिद्वीविनायक हॉस्पीटल के पास सेक्टर 06 उदयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बिछडी तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर एवं वरदी चन्द्र पुत्र श्री पृथ्वीराज डांगी निवासी बिछडी तहसील कुराबड जिला उदयपुर हाल ग्राम रोजगार सहायक (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत बिछडी, उदयपुर को परिवादी से 9 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि सत्यापन के दौरान 3 हजार रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिये थे एवं आज कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि 10 हजार रूपये प्राप्त कर उसमे से 1 हजार रूपये परिवादी को पुनः लौटा दिये।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।